न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 112/2026

01. जगतार सिंह उर्फ कालासिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 19 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :—22.05.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 24 बीडी ए मु0नं0 75/10 में कुल 0.9484 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि जरिये बैयनामा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि का बैयनामा करते समय वादी के पिता का नाम श्रवण सिंह लिखा गया था। जबकि वादी के द्वारा बैयनामा करते वक्त जो दस्तावेज पेश किये गए थे उसमें वादी के पिता का नाम सुरेण सिंह अंकित है। उक्त रकबा वादी के पास बैयनामा के दिनांक से लगातार आजतक चला आ रहा है। वादी अनपढ़ है इसलिए उक्त गलत लिखे गए नाम का पता नहीं चला। इसप्रकार बैयनामा करते समय वादी के पिता का नाम त्रुटि श्रवण सिंह लिखा गया। वादी अपने उक्त रकबा पटवारी हल्का के पास दस्तावेज बनवाने गया तो पटवारी हल्का ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम श्रवण सिंह अंकित है। वादी ने जानबुझ कर पिता का नाम श्रवण सिंह नहीं लिखवाया है। वह लिपिकीय त्रुटिवश श्रवण सिंह अंकित हो गया है जिससे वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी अपने उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर श्रवण सिंह की जगह सुरेण सिंह की घोषणा व दुरूस्ती करवाना चाहता है। अतः घोषणात्मक वाद पेशकर निवेदन है कि वादी के नाम दर्ज उक्त रकबा में अपने पिता का नाम श्रवण सिंह की जगह सुरेण सिंह की घोषणा कर दुरूस्ती कर अंकन करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, राशनकार्ड, जमाबंदी, बैयनामा इत्यादि की प्रति व शपथपत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम सुरेण सिंह अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 24 बीडी ए मु0नं0 75/10 में कुल 0.9484 हैक्टर कमाण्ड हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी के पिता का नाम श्रवण सिंह की जगह सुरेण सिंह संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी के पिता का नाम श्रवण सिंह नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का श्रवण सिंह नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी के पिता का नाम श्रवण सिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 22.05.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)